न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 155 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
जगराम पुत्र श्री खुमाराम जाति विश्नोई निवासी रोहिला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर	1. हनुमान गोद पुत्र उम्मेदाराम 2. सदराम पुत्र खुमाराम 3. बीजाराम पुत्र हेमाराम 4. पूनमाराम पुत्र पेमाराम 5. राजेश पुत्र पेमाराम 6. सायती बैवा पेमाराम 7. मानाराम पुत्र डालूराम 8. बाबूलाल पुत्र डालूराम 9. बाबूलाल पुत्र डालूराम 10. रामलाल पुत्र ठाकराराम 11. केसराराम पुत्र रामलाल 12. भाखरराम पुत्र रामलाल 13. किसनाराम पुत्र कालूराम 14. शैतानसिंह पुत्र कालूराम 15. अशोककुमार पुत्र सुखराम 16. आनन्द कुमार पुत्र भागीरथ 17. श्रीमती कमला पत्नी मंगलाराम 18. श्रीमती चुकीदेवी पत्नी जगदीश 19. श्रीमती चुकीदेवी पत्नी रामजीवन 20. श्रीमती पूनमीदेवी पत्नी मोहनलाल 21. श्रीमती पारूदेवी पत्नी जगराम 22. श्रीमती माडूदेवी पत्नी सदराम 23. श्रीमती मीरादेवी पत्नी चंपालाल 24. श्रीमती रामेश्वरी पत्नी ओमप्रकाश 25. बालाराम पुत्र केसराराम 26. मांगीलाल पुत्र भारमल 27. श्रीमती शांति पत्नी हनुमानराम 28. श्रीमती शांतिदेवी पत्नी आसुराम 29. श्रीमती शांतिदेवी पत्नी केसराराम 30. श्रीमती शांतिदेवी पत्नी भागीरथ 31. श्रीमती सायन्ती पत्नी पेमाराम 32. श्रीमती सोमीदेवी पत्नी जयकिशन 33. श्रीमती सोमीदेवी पत्नी बाबुलाल 34. श्रीमती रूपादेवी पत्नी बाबुलाल 35. श्रीमती सोहनी देवी पत्नी केसराराम जातियान विश्नोई निवासी रोहिला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर 36. श्रीमती चम्पादेवी पत्नी हिरकनराम जाति विश्नोई निवासी कालियाना 37. मैनेजर स्टैट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा धौरीमन्ना 38. मैनेजर राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा धौरीमन्ना

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

	39. मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया तहसील धनाऊ 40. हरींगाराम के कायम मुकाम 40/1श्रीमती सुगणी पत्नी हरींगाराम 40/2कुमारी मांगी पुत्री हरीगाराम 40/3ओम विष्णु पुत्र हरीगाराम वादीनी 1/2 व 1/2 नाबालिग जरिये माता श्रीमती सुगणी पत्नी हरींगाराम जाति विश्नोई निवासी रोहिला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर 41. श्रीमान तहसीलदार सेड़वा जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा द्वारा राजस्व वाद संख्या 241/2005 बअनवान हरिंगाराम के कायम मुकाम बनाम जगराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.07.2023 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री केसराराम विश्नोई अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री भजनलाल गोदारा रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—03.04.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 40 ने एक वाद बाबत विभाजन घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि ग्राम रोहिला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 339/140 रकबा 0.0405 हैक्टयर, में वादी का 1/3 हिस्सा है। खसरा संख्या 419/246 रकबा 2.7923 हैक्टयर में वादी का 1/6 हिस्सा हैं। खसरा संख्या 304/72 रकबा 2.7114 हैक्टयर जिसमें वादी का 1/12 हिससा हैं। खसरा संख्या 302/72 रकबा 9.6315 हैक्टयर जिसमें वादी का 1/12 हिस्सा है। खसरा संख्या 245 रकबा 0.1457 हैक्टयर जिसमें वादी का 1/12 हिससा हैं। खसरा संख्या 232 रकबा 11.6954 हैक्टयर जिसमें वादी का 1/12 हिससा है। इसी तरह खसरा संख्या 190, 241, 340/141 कुल रकबा 1.9182 हैक्टयर में वादीनी संख्या 1/1 का 46/237 हिस्सा, खसरा संख्या 231 रकबा 3.0513 हैक्टयर में वादीनी संख्या 1/1 का 121/4369 हिस्सा है। खसरा संख्या 240 रकबा 0.0324 हैक्टयर जिसमें वादीनी 1/1 का 5/162 वां हिस्सा है। खसरा संख्या 260 रकबा 10.8941 हैक्टयर जिसमें वादीनी 1/1 का 32/1157 हिस्सा है। शेष भूमि अपीलार्थी व अन्य प्रत्यर्थीगण यानि प्रतिवादीगण की खातेदारी की भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना निर्णय कर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

डिक्री पारित कर विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार सेड़वा से तलब करने का आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी कानूनी एवं तथ्यों की भूल की गई, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलार्थी व अन्य प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए जिनकी ओर से जबाव प्रस्तुत किया गया तथा निवेदन किया कि अपीलार्थी व अन्य प्रतिवादीगण के हिस्से को भी जमाबंदी के अनुसार बंटवारा किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दो बार प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई जो अपीलीय न्यायालय द्वारा निरस्त कर पुनः मामला रिमाण्ड किया गया दिनांक 27.11.2023 को संशोधित वाद प्रस्तुत किया गया तत्पश्चात प्रकरण तामिल में लम्बित चल रहा था। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता द्वारा दिनांक 27.03.2023 को वकालतनामा प्रस्तुत किया गया व पत्रावली अग्रीम कार्यवाही मे रखते हुए बिना कोई कार्यवाही किये ही तथा जबाव व साक्ष्य का अवसर दिये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के काउन्टर क्लेम पर कोई निर्णय पारित नहीं किया गया। साथ ही सभी सहखातेदारों के मध्य हिस्से अनुसार बंटवारा किये जाने का आदेश पारित नहीं किया गया होने के कारण विधि अनुसार मात्र वादी का ही वाद स्वीकार किये जाने का आदेश पारित किया गया है जो आदेश बंटवारे की मंशा के विपरीत पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलांट को अपनी शहादत पेश करने कोई अवसर नहीं दिया गया। हस्तगत प्रकरण में तनकीयात कायम कर निर्णय तनकीवार पारित नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करके पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो न्यायोचित है। हिस्सों को लेकर अपीलांट द्वारा किसी भी प्रकार का उजर पेश नहीं किया गया। काउन्टर क्लेम एक ही प्रतिवादी द्वारा पेश किया गया, उसी के जबाव अनुसार प्रकरण निर्णित कर दिया गया। अपीलाधीन डिक्री में किसी भी प्रकार की कानूनी कमी नहीं है। हस्तगत अपील के जरिये अपीलांटस प्रकरण को

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अनावश्यक लंबा कर रहे हे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पूर्ण पालन करते हुए पारित की गई। अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि प्रार्थी/अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं थी। अपीलार्थी को जबाव व साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया। वर्तमान में प्रत्यर्थी मौके पर आया तथा कब्जे से बेदखल करने की धमकी दी तथा कहा कि वह विशेष भू भाग पर कब्जा कर लेगा तथा अपीलार्थी को उसके हिस्से से बेदखल कर देगा, जिस पर अपीलार्थी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 19.01.2024 को नकले हेतु आवेदन कराया जो नकल तैयार होकर दिनांक 23.01.2024 को प्राप्त हुई जिस पर अपीलार्थी को पढकर सुनाया जाने पर प्रथम बार आलोच्य आदेश की जानकारी हुई। अपीलार्थी दिनांक 27.01.2024 को जोधपुर आया तथा अपील तैयार करवाकर जानकारी से अन्दर म्याद प्रस्तुत कर रहा है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

उत्तरदाता के अधिवक्ता ने धारा 05 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने की दिनांक से ही अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी है। अपीलांट द्वारा गलत तथ्य पेश करते हुए अपील पेश की गई। अपीलांट द्वारा अपील विलंब से पेश करने के प्रत्येक दिन का हिसाब न्यायालय में नहीं बताया गया। अपील मियाद बहार पेश की गई। अतः उक्त आवेदन को खारिज करते हुए अपील को इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के काउन्टर क्लेम पर कोई विस्तृत निर्णय पारित नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी सहखातेदारों के बंटवारे के आदेश पारित नहीं किये

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

गये। वादी द्वारा संशोधित वाद प्रस्तुत किये जाने के पश्चात अपीलांट को साक्ष्य पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तनकीयात कायम कर तनकीवार पारित नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा द्वारा राजस्व वाद संख्या 241/2005 बअनवान हरिंगाराम के कायम मुकाम बनाम जगराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.07.2023 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.04.2025 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे। हस्तगत प्रकरण/वाद अत्यधिक पुराना होने से अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रकरण में दिन प्रतिदिन की तारीख पेशी नियत करते हुए मूल वाद की पत्रावली प्राप्त होने की दिनांक से प्रकरण का अधिकतम तीन माह में निस्तारण करे।

3/4/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 03.04.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3/4/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर